निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 885.00

द्वितीय वाहन निविदा वर्ष 2026–27

तकनीकी बिन्दु

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा।

विपणन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता द्वारा अपना नवीनतम स्वप्रमाणित छायाचित्र चस्पा किया जाय।

1. विपणन :–..
2. मार्ग का नाम जिस हेतु निविदा दी जा रही है:–..
3. निविदा दाता का नाम:–..
4. मोबाईल नम्बर:–..
5. निविदा दाता का आधार नम्बर:–..
6. निविदादाता के पिता/पति का नाम:–..
7. स्थाई पता:–..
8. पत्राचार का पता:–..
9. वाहन का प्रकार:–..
10. मॉडल वर्ष:–..
11. (आर0सी0*)वाहन संख्या:–..
12. वाहन स्वामी का नाम:–..
13. वाहन के बीमा की वैधता तिथि*:–..
14. रोडटैक्स की वैधता तिथि*:–..
15. वाहन फिटनैस की तिथि:–..
16. जमानत धनराशि* रूपया:–..............................तिथि..............................रसीद संख्या..............................

(निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 750+135 = 885.00 जी0एस0टी0 सहित है। यदि निविदा प्रपत्र वैवसाईट से डाउनलोड किया गया है तो, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 885.00 का बैंक ड्राफ्ट अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।)

बैंक का नाम..............................बैंक ड्राफ्ट संख्या..............................धनराशि..............................दिनांक.................................

मैंने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा द्वारा निविदा हेतु तय की गयी सभी शर्तो को मेरे द्वारा भलि–भाँति पढ़ व समझ लिया गया है। मैं दुग्ध संघ अल्मोड़ा के साथ उक्त समस्त शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करने के लिए तैयार हूँ। उपयुक्त पृविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी/भरवायी हैं जो कि मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही हैं। यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो, संस्था को पूर्ण रूपेण अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दें।

1. **जो लागू न हो उसे काट दें, अपर लेखन न करें। गलत होने पर काटकर अपने हस्ताक्षर कर नया लिखें।**
2. **शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाय।**

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता..............................

मोबाइल नम्बर–..............................

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय वाहन निविदा वर्ष 2026—27

वित्तीय बिन्दु

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी,अल्मोड़ा

विपणन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1. मार्ग का नाम जिस हेतु निविदा दी जा रही है:—..
2. विपणन :—..
3. निविदादाता का नाम:—..
4. वाहन का प्रकार:—..
5. मॉडल वर्ष:—..
6. वाहन संख्या:—..
7. निविदा विपणन दर रूपया:—....................................

   (शब्दों में..)

दर प्रति किमी0 में (अंकित की जाय)

8. निविदा निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता..

नोट:— विपणन कार्य हेतु वाहन की दरें प्रति ली0 में स्वीकार की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त डाली गयी निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा। जो लागू न हो उसे काट दें, अपर लेखन न करें। गलत होने पर काट कर अपने हस्ताक्षर करें। अन्यथा टेण्डर निरस्त माना जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा।

उपार्जन/विपणन कार्य हेतु वाहन की निविदा शर्तें

1. निविदा दिनांक 26.05.2026 अपराह्न 1:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर एवं निविदा बॉक्स में सीधे भी डाली जा सकती है। उक्त माध्यमों से आमंत्रित निविदाएं उसी दिन शाम 1:30 बजे से उपस्थित निविदाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र रू0 885.00 की नकद धनराशि से दुग्ध संघ कैशियर अल्मोड़ा एंव दुग्ध अवशीतन केन्द्र ताड़ीखेत व बागेश्वर से प्राप्त किया जा सकता हैं या यू0सी0डी0एफ0लि0, हल्द्वानी की वेबसाइट www.ucdfaanchal.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड़ किये गये निविदा फार्म में रू0 885.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा के नाम देय होगा।
2. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा। प्रत्येक मार्ग हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा।
3. निविदा हेतु विपणन एवं उपार्जन वाहन के वाहन साइक्लो टेंकर समकक्ष 2025 से 2026 तक समभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा दिये गये परमिट के अनुसार मान्य होगा।
4. उपार्जन कार्य हेतु वाहन की दरें प्रति किमी0 एवं विपणन हेतु प्रति लीटर में स्वीकार की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त डाली गयी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में क्रमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर डाली जाय। तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हतायें पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा। शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाय।
6. निविदायें मार्ग वार खोली जायेगी। इस हेतु किसी भी मार्ग पर तीन निविदायें अथवा प्रोक्योरमैंट नियमावली के अनुसार प्राप्त होनी आवश्यक हैं, नियमानुसार निविदाऐ प्राप्त होने पर निविदा मान्य होगी।
7. दुग्ध संघ में जो परिवहनकर्ता विवादित चल रहे हैं, या जिनको काली सूची में डाला गया है एवं जो संस्था के बकायेदार हैं, उनका तथा उनके परिवार/फर्म द्वारा दी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। संस्था में कार्य कर रहें/पूर्व ट्रांसपोर्टरों को प्रभारी वित्त से अदेयता प्रमाण पत्र व प्रभारी विपणन से संन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अदेयता प्रमाण पत्र व संन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न न होने पर निरस्त कर दी जायेगी।
8. एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। अप्लाई फॉर वाहन मान्य नहीं होंगे। एक से अधिक मार्गो हेतु एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गो की निविदायें निरस्त कर जमानत धनराशि संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
9. एक जमानत धनराशि (धरोहर राशि) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक ही जमानत धनराशि (धरोहर राशि) से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा जमानत धनराशि (धरोहर राशि) को जब्त कर लिया जायेगा।
10. विशेष परिस्थितियों में मुख्तार नामा (Power of Attorney) मान्य होगा। वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिए। उपार्जन एवं विपणन हेतु छोटे वाहन पिकप यूटिलिटी एवं समकक्ष वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है।
11. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में उपार्जन/विपणन कार्य हेतु निविदा व मार्ग का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
12. समान दरें प्राप्त होने पर नये मॉडल के वाहन को वरीयता दी जायेगी।
13. निविदा प्रपत्र में अपर लेखन (Over Writing) मान्य नहीं होगी। त्रुटि हो जाने पर अपर लेखन न करें। काटकर पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
14. एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
15. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा गया हो। स्वप्रमाणित छाया चित्र चस्पा किया गया हो, वाहन की आर0सी0, बीमा, पेन कार्ड (PAN) की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा एक फोटो युक्त पहचान पत्र (मतदाता पहचानपत्र, डी0एल0, आधार कार्ड आदि) की स्वप्रमाणित छायाप्रति व निरस्त चैक टेण्डरदाता के नाम सहित भी संलग्न की जाय।
16. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा में उल्लेखित वाहन की आर0सी0, बीमा, रोडटैक्स, फिटनैस, परमिट, प्रदूषण एवं पैनकार्ड के मूल प्रपत्र निविदा कमेटी के सम्मुख निविदा स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने होंगे तथा कार्यालय अभिलेखों हेतु उक्त समस्त की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करानी होंगी। कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् उक्त सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

17. अर्नेस्टमनी प्रत्येक निविदादाता द्वारा रू0 5000.00 (पॉच हजार मात्र) की धनराशि निविदा प्रपत्र के साथ दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कोषागार में नकद अथवा बैक डिमांड ड्राफ्ट (जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के नाम देय हो) द्वारा जमा किया जायेगा। अर्नेस्ट मनी हेतु चैक या पूर्व में जमा जमानत धनराशि इस निविदा हेतु मान्य नहीं होगें। निविदा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस धनराशि का समायोजन निविदादाता द्वारा स्वीकृत निविदा की जमानत धनराशि हेतु भी कराया जा सकेगा। निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदा स्वीकार न करने पर अर्नेस्टमनी रू0 5000.00(पॉच हजार मात्र) जबत कर ली जायेगी।
18. उपार्जन के लगे वाहनों हेतु जमानत धनराशि (धरोहर राशि) "टाटा 407 समकक्ष व उससे ऊपर के वाहनों हेतु रूपया 30,000.00 (तीस हजार मात्र) एवं उक्त से छोटे वाहनों के लिए रूपया 20000.00 (बीस हजार मात्र) की धनराशि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कोषागार में नकद अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट (जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के नाम देय हो) द्वारा जमा किया जायेगा। विपणन में लगे वाहन छोटे वाहन हेतु 30000.00 (तीस हजार मात्र) व बड़े वाहन हेतु 50000.00 (पचास हजार मात्र) धनराशि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कोषागार में नकद अथवा बैंक डिमांड ड्राफ्ट (जो कि अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के नाम देय हो) द्वारा जमा किया जायेगा।
19. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात् किसी भी दशा में विपणन में लगे छोटे वाहनों को पचास हजार व बड़े वाहन को एक लाख बैक गारन्टी एफ0डी0 संलग्न कर देनी होगी।
20. विवादों का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 एवं उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अधीन होगा।
21. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 धनराशि का स्टाम्प पेपर निविदादाता को प्रस्तुत करना होगा।
22. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति पर निविदा पूर्ण होने तक उन्ही दरों एवं शर्तों पर अवधि बढायी जा सकती है, बढाई गई अवधि में भी अनुबन्ध की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
23. स्वीकृत निविदा को आवश्यकता नहीं होने पर बिना कारण बताये एक माह के नोटिस पर हटाया जा सकता है।
24. सरकार द्वारा लगाये जाने वाले समस्त करों आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। जिसके लिए संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
25. <u>उपार्जन/विपणन</u> मार्गो पर लगने वाले समस्त कर जैसे पथ कर, सेतु कर, समस्त करो आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वंय किया जायेगा। संस्था द्वारा वाहन को निर्धारित मार्ग से अन्यत्र मार्ग पर भेजे जाने की स्थिति पर ही उक्त कर संस्था द्वारा देय होगें।
26. निविदा प्रपत्र के साथ मार्ग वार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहन कर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।
27. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त वाहन के मार्ग की दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, या मार्ग में आशिंक/पूर्ण परिवर्तन भी किया जा सकता है, एवं दुग्ध उपार्जन/बिक्री कम होन पर वाहन हटाया जा सकेगा। जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
28. चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। चालक/परिचालक का नाम, पता व चालक का चालन अनुज्ञापित (Driving licence) की स्व प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी। चालक/परिचालक के बदलने पर सूचना भी कार्यालय को देनी अनिवार्य होगी। वाहन के समस्त रख–रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

29. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य का अनुबन्ध एवं अनुबन्ध की कार्यावधि को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना निविदादाता के लिए आवश्यक होगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य का अनुबन्ध न करने अथवा कार्यावधि में वाहन हटाये जाने पर जमानत राशि संस्था द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
30. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को अपने वाहन सहित निरीक्षण हेतु संस्था द्वारा निर्धारित तिथि को संस्था अवशीतन केन्द्रों चौखुटिया, ताड़ीखेत, जैंती, बागेश्वर (कमेड़ी) या मुख्य दुग्धशाला अल्मोड़ा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
31. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता द्वारा अपने वाहन पर संस्था द्वारा तय मोनो ग्राम एवं विज्ञापन को निर्धारित रंगों पर परिवहनकर्ता के अपने स्वंय के व्यय पर कराना होगा।
32. परिवहनकर्ता द्वारा विशेष परिस्थितियों में अगर अनुबन्धित वाहन के अतिरिक्त मार्ग पर दूसरा वाहन भेजा जाता है तो, वह समकक्ष वाहन ही भेजा जायेगा एवं उसकी लिखित सूचना कारण एवं वाहन के प्रपत्रों सहित संस्था को देनी होगी।
33. समय–समय पर निविदा कमेटी द्वारा किये जाने वाले निर्णयों जो कि, संस्था हित के लिए आवश्यक हों, इन शर्तो एवं अनुबन्ध में न होते हुए भी निविदादाता को स्वीकार्य होंगी।
34. निविदा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ की रू0 200.00 की नाम मात्र की सदस्यता एवं 25.00 प्रवेश शुल्क कुल 225.00 जमा करना होगा।
35. अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अनुबन्धित मार्ग पर संस्था द्वारा दिये गये कार्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। मार्ग पर वाहन खराब होने या अन्य कोई भी कारण जिससे कार्य प्रभावित हो रहा हो, उसका निदान करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। संस्था द्वारा सिवाय अनुबन्ध की शर्तो में किये गये प्राविधानों के अतिरिक्त किसी प्रकार की धनराशि का भुगतान नही किया जायेगा।
36. <u>**विपणन/उपार्जन**</u> मे लगे वाहनो को संस्था की आवश्यकतानुसार उसके कार्यों के साथ–साथ विपणन या उपार्जन के कार्य करने की भी वाध्यता होगी।
37. मार्ग पर दुग्ध समितियों से दूध की केन उठाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। इस हेतु उपार्जन कार्य में लगे वाहनों को लोडर चार्ज छोटे वाहन की दशा में रू0 10.00 व बड़े वाहन की दशा में रू0 15.00 प्रतिदिन देय होगा।
38. परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ/उसके प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये निर्देशों और प्रत्येक मार्ग पर समय–समय पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य करना होगा। अकारण ही दुग्ध समितियों का दूध छोड़ देने, या कोई भी ऐसा कारण जिससे संस्था/समितियों को हानि हो एवं बिलम्ब से वाहन दुग्धशाला/दुग्ध अवशीतक केन्द्र पहुँचने पर दूध के खट्टा–फट्टा होने, वाहन पर नियमानुसार त्रिपाल न लगा होने पर (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) हानि की कटौती संस्था के नियमानुसार परिवहनकर्ता के बिल से की जायेगी।
39. परिवहनकर्ता को नियमित कार्यों के अतिरिक्त दुग्ध संघ या दुग्ध अवशीतक केन्द्र से दुग्ध समितियों को भेजे जाने वाले विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे पशुआहार, भूसा आदि, स्टेश्नरी, एम0टी0ई0 व संस्था द्वारा निर्मित दुग्ध एव दुग्ध पदार्थो आदि को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित ले जाना आवश्यक होगा। इस हेतु पशुआहार, भूसा आदि के ढुलान हेतु रू0 40.00 प्रति कुन्टल परिवहनकर्ता को संस्था द्वारा अतिरिक्त देय होगा। शेष सामग्री हेतु (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
40. मार्ग पर दुग्ध उपार्जन अथवा बिक्री कम होने या मार्ग के बन्द होने पर तथा परिवहनकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा दूध की चोरी करने अथवा कोई भी ऐसा कार्य जिससे संस्था को किसी प्रकार की भी क्षति होती हो, ऐसी स्थिती में वाहन को हटाने का पूर्ण अधिकार प्रधान प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा के पास सुरक्षित होगा।
41. विपणन हेतु बागेश्वर एवं चौखुटिया मार्ग में लगे वाहनो को सम्बन्धित दुग्ध अवशीतक केन्द्रों का पूरा दूध दी गयी समयसारणी के अनुसार मुख्य दुग्धशाला में लाना होगा वाहनों के लेट होने पर खट्टा–फट्टा/दूध मात्रा फैट एस0एन0एफ0 में कमी की जिम्मेदारी सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर की होगी। वाहन को अव0 केन्द्र ताड़ीखेत का टैंकर से

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त दूध रानीखेत से मुख्य दुग्धशाला अल्मोड़ा लाना अनिवार्य होगा। जिस हेतु परिवहनकर्ता को कोई अतिरिक्त धनराशि दूध ढुलान हेतु देय नहीं होगी।

42. विपणन वाहन द्वारा जमानत राशि से अधिक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ बिक्री की धनराशि से अधिक बकाया करने पर संस्था को परिवहनकर्ता के वाहन का संचालन रोकने का अधिकार होगा।

43. विपणन कार्य में लगे परिवहनकर्ताओं को खाद्य पदार्थो के ढुलान हेतु फूड सेफ्टी लाईसेंस व वाणिज्य कर/जी0एस0टी0 विभाग का रजिस्ट्रेशन अनुबन्ध के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं होने की दशा में उक्त हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति/रसीद भी लगाई जा सकती है।

44. दुग्ध विपणन में लगे परिवहनकर्ताओं को मुख्य दुग्धशाला से उठाये गये कुल दूध का एक प्रतिशत लिकेज दूध की प्रति पूर्ति हेतु अतिरिक्त दिया जायेगा। अपरिहार्य कारणों को छोड़कर दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की वापसी किसी भी अवस्था में नहीं की जायेगी।

45. दुग्ध विपणन में लगे परिवहनकर्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के निर्गत चालानों के आधार पर बिकी की सम्पूर्ण धनराशि प्रतिदिन दुग्ध संघ के कोषागार या बैंक खाते जमा करानी होगी। बैंक गारन्टी से अधिक धनराशि बकाया होने पर संस्था द्वारा परिवहनकर्ता का वाहन जब्त कर लिया जायेगा व बकाया धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विधिक कार्य वाही आरम्भ कर दी जायेगी। विधिक कार्यवाही पर दुग्ध संघ की ब्यय होने वाली धनराशि की वसूली भी परिवहनकर्ता से की जायेगी।

46. उर्पाजन में लगे टेंकर को ताड़ीखेत–अल्मोड़ा के अलावा संस्था को आवश्यकता होने पर अपनी मुख्य दुग्धशाला या अवशीतक केन्द्रों से अन्य स्थानों पर भी दूध छोड़ने या लाने के लिए भेजा जा सकता है, जिस हेतु निविदादाता को ताड़ीखेत–अल्मोड़ा की दूरी के सापेक्ष भुगतान की जा रही धनराशि के अनुपात में भुगतान किया जायेगा।

47. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो प्रधान प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा को परिवहनकर्ता से सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा।

48. निविदादाता अथवा उसके निकट सम्बन्धी (माता–पिता, भाई–बहन, पत्नी–बच्चे) द्वारा संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्राईवेट ब्राण्ड का दुग्ध व्यवसाय किया जाता होगा तो ऐसे निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त भी ऐसा प्रकरण पाये जाने पर निविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

49. डाक रजिस्टर वाहन में मे होना अनिवार्य है जिसे ट्रांसपोर्टरों को गेट से ले जाकर गेट पर ही रखना होगा।

50. टेन्डर में लगा वाहन ही सम्बन्धित कार्य के लिए मान्य होगा।

51. वाहन के अदेयता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।

52. वाहन के चालक का व्यवहार ठीक होना आवश्यक है।

53. विकय वाहन के माह के अन्त मे क्रेटों का मिलान किया जाना आवश्यक है। केट कम पाये जाने पर ट्रांसपोर्टर के उस माह के बिल से कटौती कर दी जायेगी।

54. आँचल के अलावा अन्य ब्राण्ड की क्रेटें मुख्य दुग्धशाला में नहीं ली जायेंगी।

55. वाहन दुर्घटना होने पर वाहन के होल दूध/चिल्ड दूध/पैकेट दूध एवं दुग्ध पदार्थ और बारदाना का नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

56. वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नहीं करने होगें।

57. दैवीय आपदा/दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नहीं होगा।

58. वाहन खराब होने/दुर्घटना होने/अन्य कारणों से व्यवधान होने पर निविदादाता को वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

59. संस्था द्वारा मार्गो की अधिकतम दर निर्धारित करते हुए निविदा फार्मो के साथ संलग्न की जा रही है।

60. संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पाये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी

Scanned with OKEN Scanner

61. ढुलान बिल अत्यधिक विलम्ब एवं एक साथ कहीं माहों का बिल प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए परिवहनदाता का उत्तरदायित्व होगा। भुगतान कम से कम 45 दिन बाद होगा।
62. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्धों का उल्लंघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है। तो प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा को परिवहनकर्ता से सम्पूर्ण क्षति पूर्ति करने का अधिकार होगा।
63. वाहन में दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी किसान/प्राइवेट व्यवसाय का दूध ढुलान नहीं किया जायेगा। यदि दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का दूध वाहन में पाया जाता है तो प्रकरण को चोरी से संबन्धित मानते हुए चोरी के दंण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
64. चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टॉफ से दुव्यवहार करने का प्रथम दृष्टया 5000.00 रूपये की कटौती की जायेगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए वाहन संस्था से पृथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिए सम्बन्धित को संस्था की काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
65. उपार्जन एवं विपणन निविदादाता को संस्था द्वारा दिये गये समयानुसार दुग्ध उपार्जन एवं विपणन करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा निर्धारित समयानुसार दुग्ध समितियों का दूध संबन्धित दुग्ध अवशीतक केन्द्रों/मुख्य दुग्धशाला में नहीं पहुँचने पर कट्टे–फट्टे की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
66. उपार्जन एवं विपणन के वाहनों में स्टॉफ को ले जाना अनिवार्य होगा। सवारी व डेयरी से सम्बन्धित सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित होगा।

निविदा की धोषणा

उक्त शर्तों को मैने भली–भांति पढ़ एवं समझा लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात् ही निविदा डाल रहा हूँ जो कि मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर

निविदादाता–

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी अल्मोड़ा

वर्ष 2026–27 विपणन कार्य हेतु वाहन की निविदा सूचना

कम सं0	मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी (कि0मी0 में)	अधिकतम दर
01	अल्मोड़ा–चौखुटिया	पिकअप / समकक्ष	246 किमी0	रू0 5.00 प्रति ली0
02	रानीखेत–भिकियासैंण	पिकअप / समकक्ष	132 किमी0	रू0 5.00 प्रति ली0
03	रानीखेत लोकल	पिकअप / समकक्ष	40 किमी0	रू0 2.00 प्रति ली0
04	द्वाराहाट लोकल	पिकअप / समकक्ष	30 किमी0	रू0 2.00 प्रति ली0
05	सोमेश्वर लोकल	ओमनी वैन / समकक्ष	28 किमी0	रू0 2.00 प्रति ली0
06	अल्मोड़ा ए0	पिकअप / समकक्ष	35 किमी0	रू0 1.50 प्रति ली0
07	अल्मोड़ा बी0	पिकअप / समकक्ष	30 किमी0	रू0 2.25 प्रति ली0
08	अल्मोड़ा सी0	पिकअप / समकक्ष	30 किमी0	रू0 0.70 प्रति ली0
09	अल्मोड़ा ताकुला	पिकअप / समकक्ष	100 किमी0	रू0 6.90 प्रति ली0
10	अल्मोड़ा दन्या	पिकअप / समकक्ष	130 किमी0	रू0 10.00 प्रति ली0
11	ए0टी0एम0 ए0	पिकअप / समकक्ष	38 किमी0	रू0 5.00 प्रति ली0
12	ए0टी0एम0 बी0	पिकअप / समकक्ष	35 किमी0	रू0 4.10 प्रति ली0
13	ए0टी0एम0 रानीखेत	पिकअप / समकक्ष	45 किमी0	रू0 5.25 प्रति ली0
14	ए0टी0एम0 भिकियासैंण	संस्था वाहन	142 किमी0	रू0 6.00 प्रति ली0

प्रधान प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
पातालदेवी अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner

AANCHAL

निविदा फार्म–विपणन अनुभाग (तकनीकी बोली)

AANCHAL

फार्म संख्या– [ ] निविदा प्रपत्र मूल्यः– ₹ 750 + 135 = 885.00 (आठ सौ पिच्यासी)रू0(समस्त कर सहित)

कार्यालय अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी अल्मोड़ा
संस्था वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. मार्ग का नाम :– ....
2. निविदादाता का नाम :– ....
3. आधार कार्ड संख्या – ....(छायाप्रति संलग्न करें)
4. पिता/पति का नाम :– ....
5. स्थायी पता (अनिवार्य):– ....
....
6. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य) :– ....
....
7. दूरभाष संख्या (अनिवार्य):– :– ....
8. जमा अर्नेस्ट मनी विवरण–बैंक का नाम ....
ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....
नकद जमा धनराशि–.......... रसीद संख्या ....दिनांक ....
9. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ आई0डी0प्रूफ के रूप में (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें।
10. अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न (केवल पूर्व/वर्तमान में कार्य कर रहे परिवहनकर्ताओं का) (हाँ/नही)–..........

(**संलग्नक**–आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त।)

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

पूरा नामः– ....

पता :– ....

....

मोबाईल नम्बर–..........

Scanned with OKEN Scanner

AANCHAL फार्म संख्या–

निविदा फार्म–विपणन अनुभाग (वित्तिय बोली)

AANCHAL

कार्यालय अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी अल्मोड़ा

संस्था वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम :– ....

2. निविदादाता का नाम :– ....

4. पिता/पति का नाम :– ....

5. स्थायी पता (अनिवार्य):– ....

....

6. (अ)संस्था वाहन के किराये की दरें दूध प्रति लीटर कमीशन (अंको व शब्दों में):–

अंकों में :– ₹.......... शब्दों में :– ....

संलग्नक–आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

पूरा नामः– ....

पता :– ....

....

मोबाईल नम्बर–..........

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त व विवरण चार्ट

क्र स.	मार्ग का नाम	पाली	वाहन का प्रकार	न्यूनतम् वाहन क्षमता (टन में)	मार्ग में अनुमानित दुग्ध बिक्री प्रतिदिन (ली० में)	नगद जमानत धनराशि (Rs)	अधिकतम् लूज (खुला) दुग्ध कमीशन दर प्रति लीटर (Rs)
1	ताड़ीखेत, रानीखेत, भतरौंजखान, भिकियासैंण, जैनल	प्रातः	मूवेबल मिल्क मशीन	01	300-400		

विपणन मार्ग का अनुमानित रोडमैप

क्र.सं.	मार्ग का नाम	विपणन मार्गो का अनुमानित रोडमैप
1	ताड़ीखेत, रानीखेत, भतरौंजखान, भिकियासैंण, जैनल	**प्रातः** – अवशीतक केन्द्र ताड़ीखेत, रानीखेत, भतरौंजखान, भिकियासैंण, जैनल

1. उपरोक्त रोड मैप अनुमानित है जो संस्था की आवश्कतानुसार घटाया या बढ़ाया या बदला जा सकता है। संस्था द्वारा संस्था हित में लिया गया निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।
2. प्रतिदिन लूज (खुला) दूध रानीखेत से प्राप्त किया जायेगा एवं दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ भी रानीखेत सप्लाई से प्राप्त किये जा सकते हैं
3. निविदादाता को पैक्ड दूध एव दुग्ध उत्पाद अभिकर्ता दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. निविदादाता द्वारा संस्था के वाहन में आँचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य कोई सामान का ढुलान नही किया जायेगा।
5. निविदादाता के नाम भेजे जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमत की वसूली का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा। ड्राईवर एवं लोडर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। बिक्री किए गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की धनराशि की शत्–प्रतिशत वसूली का दायित्व निविदादाता (परिवहनकर्ता) का होगा तथा इस हेतु वह वैधानिक रूप से भी उत्तरदायी होगा।
6. निविदादाता को संस्था से अनुबंध के समय 02 गारंटर भी उपलब्ध कराने होंगे जो परिवहनकर्ता की जमानत लेंगे।
7. निविदाता को संस्था में बैंक गारन्टी हेतु 200000.00 (दो लाख) रू0 की देनी होगी।
8. संस्था द्वारा वाहन की सर्विसिंग, टैक्स, बीमा, फिटनेस एवं नये टायर सम्बन्धित कार्य किया जायेगा।
9. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
10. निविदा दो अलग–अलग लिफाफों मे क्रमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफो के अन्दर रखकर डाली जाय तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हतायें पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा। शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाय।
11. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **"संस्था वाहन हेतु निविदा"**, **"मार्ग का नाम"** एवं **"निविदादाता का नाम"** व **"पता"** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। स्व–हस्ताक्षरित रंगीन फोटो निविदा फार्म में लगाना अनिवार्य है।
12. निविदा, **प्रधान प्रबन्धक अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी अल्मोड़ा** के नाम से निविदा पेटी के माध्यम से दिनाँक 26.05.2026 को अपराह्न **1:00** बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनाँक 26.05.2026 को अपराह्न **01.30** बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय अल्मोड़ा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेंगी। डाक वितरण में विलम्ब प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा **पैन कार्ड एवं बैंक खाते नम्बर** की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स इत्यादि की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
14. प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। **₹ 5,000.00** (पांच हजार) रूपया अर्नेस्ट मनी नकद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो **अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी अल्मोड़ा** में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। चैक, एफ.डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।
15. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (**अर्नेस्ट मनी**) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेंगी ।
16. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली **2017** एवं संषोधित **2019** के अधीन होगा।

Scanned with OKEN Scanner

17. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तो को भलि–भाँति पढ़कर हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्थायी पता (मोबाईल संख्या) सहित निविदा फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।

18. **यू0सी0डी0एफ0** की वैबसाईट **www.ucdfaanchal.org** से निविदा डाउनलोड की जा सकती है। निविदा फार्म की जमा धनराशि **₹ 885.00** की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

19. निविदादाता को वाहन के संचालन हेतु डीजल, ड्राइवर एवं सेल्समैन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। जिस मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन मार्गों पर कार्यरत निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार/संस्था के बैंक खातों में तद्तिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, इस हेतु निविदादाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। तथा किसी भी परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की बिकी की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही(आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं वाहन हटाने) का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

20. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के **वारदाना** (केन अथवा क्रेट) को पूर्ण रूप से वापस करने का दायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दशा में कटौती मासिक रूप से सम्बन्धित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तदोपरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।

21. यह कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अवशीतक केन्द्र चौखुटिया में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी।

22. प्रत्येक वाहन के लिये **चालक/परिचालक** की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।

23. टायर पंक्चर, शीशे के कार्य, वायपर कार्य परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।

24. निविदादाता के बिलों से वाहन मैंटिनैन्स हेतु 5 प्रतिशत धनराशि की कटौती की जायेगी।

25. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को **जमानत धनराशि** संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ मु0100 (एक सौ) मूल्य के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।

26. निविदा फार्म में ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि विषेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों मे किसी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नही होगी।

27. **अनुबंध की अवधि 01** (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरांत संस्था एवं निविदादाता की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि तीन–तीन माह हेतु दो बार (अधिकतम **06** माह) बढ़ायी जा सकती है।

28. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक एवं परिचालक द्वारा मादक पदार्थो के सेवन कर वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर 05 वर्ष हेतु पृथक कर दिया जायेगा।

29. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।

30. संस्था को 15 दिन के नोटिस उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा।

31. यह कि संस्था में कार्यरत् कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावल, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के ''परिवार का सदस्य'' को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

नियम संख्या 2(ग) :–

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या जिसकी अभिरक्षा (बनेजवकल) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

Scanned with OKEN Scanner

32. संस्था के **विपणन अनुभाग** के पूर्व/वर्तमान परिवहनकर्ताओं को निविदा प्रपत्र के साथ अदेयता प्रमाण–पत्र सहायक प्रबन्धक लेखा से प्राप्त कर संलग्न करना होगा, अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
33. ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) को **FSSAI** से सम्बंधित नियम और विनियमन का परिपालन करना पड़ेगा जो कि **FSSAI Act 2006** के नियमानुसार लागू होगा।
34. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर संस्था को **FSSAI** एवं **GST** का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।
35. निविदादाता को संस्था के वाहनों की साफ–सफाई रखनी होगी और साफ–सफाई न रखनी की स्थिति में वाहनों की साफ–सफाई वाहन धुलाई केंद्र से करायी जायेगी, जिसके भुगतान की कटौती निविदादाता से की जायेगी।
36. यह कि सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मो को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019–शासनादेश सं0 1542/vll-3-19/143–उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तो के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा ।
37. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के **प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ अल्मोड़ा** के पास सुरक्षित होगा।
38. किसी भी प्रकार के विवाद में **निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)** का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

नोट–उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तो को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि–भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार संस्था वाहन के संचालन हेतु **अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी अल्मोड़ा** के साथ अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ। उपयुक्त पृविष्टियॉ मैने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, तो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

नामः– ....

पता :– ....

....

मोबाईल नम्बर–...

Scanned with OKEN Scanner